Phone:- 06183-222336(O), 222335(R)
Fax:- 06183-226935(O),222331(R)
E-mail ID:- dm-buxar.bih@nic.in
E-mail ID:- dpro-bu-bih@nic.in

समाहरणालय,बक्सर
(जिला पंचायत शाखा)

****

(आदेश)

प्रधान सचिव, पंचायत राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–4046, दिनांक 25.07.2018 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अन्तर्गत तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु प्रक्रिया एवं मार्ग निदेश संसूचित किया गया है। पंचायत राज विभाग से प्राप्त अभ्यर्थियो की सूची मे अभ्यर्थियो के काउसिलिग हेतु इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 16–1077/पं0, दिनांक 05.11.2018 द्वारा काउसिलिग दल गठित किया गया था। काउंसिलिंग के पश्चात अभ्यर्थियो की सूची के आधार पर औपबंधिक मेधा सूची तैयार करने हेतु इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 16–1079/गो0, दिनांक 05.11.2018 द्वारा अपर समाहर्त्ता, बक्सर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम गठित किया गया।

अपर समाहर्त्ता, बक्सर की अध्यक्षता मे गठित दल द्वारा दिनांक 08.01.2019 को बैठक आयोजित कर काउसिलिग दल द्वारा काउसिलिग के पश्चात उपलब्ध कराये गये अभ्यर्थियो की सूची की समीक्षा की गयी। बैठक मे आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक 1298, दिनांक 14.08.2018 एवं पत्रांक 1299, दिनांक 14.08.2018 द्वारा तकनीकी सहायक एवं लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक का अनुमोदित रोस्टर के आलोक में औपबंधिक मेधा सूची कार्यवाही प्रतिवेदन ज्ञापांक 16–0107/पं0, दिनांक 14.01.2019 द्वारा जिला चयन समिति को प्राप्त कराया गया।

अपर समाहर्त्ता, बक्सर की अध्यक्षता मे गठित दल द्वारा उपलब्ध कराये गये औपबंधिक मेधा सूची को इस कार्यालय के पत्रांक. 16–0144/पं0, दिनांक 17.01.2019 द्वारा जिला के बेबसाईट पर प्रकाशित करते हुए दिनांक 24.01.2019 तक दावा आपत्ति की मॉग की गयी।

उपरोक्त मॉग किये गये दावा आपत्ति के आलोक मे प्राप्त आपत्ति आवेदन पत्रो को दिनांक 26.02.2019 को आयोजित जिला चयन समिति की बैठक मे रखा गया। दावा आपत्ति के निराकरण हेतु समिति द्वारा पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–4046/पं0रा0, दिनांक 25.07.2018, संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 6037 दिनांक 02.11.2018, पत्रांक 27/पं0रा0, दिनांक 03.01.2019 एवं पत्रांक 5829/पं0रा0, दिनांक 22.10.2018 तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.2016, पत्रांक 11364 दिनांक 04.09.2017, एवं पत्रांक 13062 दिनांक 12.10.2017 द्वारा निर्गत निदेशो की समीक्षा की गयी।

जिला चयन समिति द्वारा उपरोक्त प्राप्त परिपत्रो मे दिये गये निदेशो के समीक्षोपरांत दावा आपत्ति हेतु प्राप्त आवेदनो का निराकरण किया गया।

जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा कॉउसलिंग में बुलाये गये अभ्यर्थियों, औपबंधिक मेघा सूची के अभ्यर्थियों एवं दावा आपत्ति संबंधी आवेदन पत्रों के आलोक मे वरीयता के आधार पर अंतिम मेघा सूची तैयार की गयी। प्रधान सचिव, जिला पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 72150/पं0रा0, दिनांक 20.12.2018 द्वारा मेधा सूची मे चयिनित सभी अभ्यर्थियो के प्रमाण–पत्रों की वैधता का सत्यापन संबंधित संस्थानो से कराने के उपरांत ही नियुक्ति पत्र निर्गत करने का निदेश प्राप्त है। उक्त प्राप्त निदेश के आलोक मे प्रमाण--पत्रो की वैधता का सत्यापन संबंधित संस्थानो से कराने हेतु भेजा गया।

लेखापाल–सह–आई0टी सहायक के पद हेतु तैयार मेद्या सूची के अभ्यर्थियों में से निम्न अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र की वैधता संबंधी सत्यापन प्रतिवेदन विभिन्न संस्थानों से प्राप्त हुआ है।

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–4046/पं0रा0, दिनांक 05.07.2018 मे निहित शर्त्तो एवं आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 1298 दिनांक 14.08.2018 द्वारा अनुमोदित रोस्टर तथा प्रमाण पत्रो की वैधता संबंधी प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक मे निम्न अभ्यर्थी को **लेखापाल–सह–आई0टी सहायक** के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन किया जाता है:–

क्र0 सं0	काउसिलिग के उपरांत प्राप्त प्राप्तांक	आवेदन क्रमांक	आरक्षण कोटि	अभ्यर्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	पता	अभ्युक्ति
01	86.75	AIT/00 87933	अनुसूचित जाति महिला	सुश्री अनिशा कुमारी	श्री उमा शंकर राम	**स्थायी पता** – ग्राम+पोस्ट– ममरेजपुर, थाना– जिला रोहतास (बिहार) पिन – 821104, **वर्तमान पता**– D/o उमा शंकर राम, वार्ड नं0 18, लिछवी भवन के पूरब, भभुआ, कैमूर (बिहार) पिन–821101, मो0–7093098927	

:– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा अनुमोदित कुल 36 पदों में से पूर्व मे 28 (अठाईस) अभ्यर्थियों का सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिनका नियोजन किया गया। शेष अभ्यर्थियों मे से 01 (एक) अभ्यथी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिनका नियोजन किया जा रहा है।)

शर्त्तें :–

1. कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर बिना सूचना के संविदा समाप्त कर दी जायेगी।
2. नियोजित अभ्यर्थी को पंचायत राज विभाग के संकल्प संख्या 4046/पं0रा0, दिनांक 25.07.2018 में निहित प्रावधानों के आलोक में प्रतिमाह निर्धारित दर पर मानदेय का भुगतान किया जायेगा। साथ ही उक्त संकल्प में वर्णित शर्त्तो का अनुपालन भी करना होगा।
3. नियोजित अभ्यर्थी को पंचायत राज विभाग के संकल्प संख्या 4046/पं0रा0, दिनांक 25.07.2018 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 31.03.2020 तक संविदा के आधार पर चयन मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा।
4. मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी द्वारा सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
5. मानदेय आधारित नियोजित कर्मियों के चयन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
6. नियोजित लेखापाल–सह–आई0टी सहायकों को वर्ष में 16 (सोलह) दिनों की आकस्मिक अनुपस्थिति अवकाश अनुमान्य होगी।
7. प्रशासनिक दृष्टिकोण/कार्यहित में नियोजित लेखापाल–सह–आई0टी सहायकों का स्थानांतरण किया जा सकता है।
8. बिना युक्तियुक्त कारण/सूचना के 15 (पन्द्रह) दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर बिना कारण पृच्छा प्राप्त किये उन्हें नियोजन मुक्त किया जा सकता है।
9. नियोजित लेखापाल–सह–आई0टी सहायक पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जिला पंचायत शाखा, समाहरणालय बक्सर में योगदान नहीं देते है, तो प्रतीक्षा सूची के अन्य अभ्यर्थियों से नियोजन किया जायेगा।
10. नियोजित लेखापाल–सह–आई0टी सहायक संविदा शर्त्तो के अनुसार जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ एकरारनामा किया जायेगा।

ह0

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 16–1884 /पं0 दिनांक 13 / 11 /2019

प्रतिलिपि :– संबंधित लेखापाल–सह–आई0टी सहायकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को निदेश दिया जाता है कि संबंधित लेखापाल–सह–आई0टी सहायकों को उक्त आशय की सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से भेजना एवं जिला के बेवसॉईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

12/11/19

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।